

प्रेस नोट

दिनांक -05.10.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.10.2026 को वादी घनश्याम मिश्रा पुत्र रामलखन मिश्रा, निवासी वार्ड नं0 5, अम्बेडकर नगर, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होंने अपनी पोती बबली का विवाह दिनांक 14.05.2021 को आकाश पाण्डेय पुत्र रामधीरज पाण्डेय, निवासी ग्राम धिरजा मिश्र पुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा के साथ किया था। विवाह के उपरान्त से ही विपक्षीगण दानदहेज से असन्तुष्ट होकर, अतिरिक्त दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग को लेकर मृतका बबली को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 01.10.2026 को विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर, बोलेरो गाड़ी की मांग को लेकर बबली की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। उक्त सूचना पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना परसपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में, जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आकाश पाण्डेय, धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास खड़ा है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर धिरजा मिश्र पुरवा बाईपास पुलिया के पास से अभियुक्त आकाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश पाण्डेय पुत्र रामधीरज पाण्डेय, निवासी ग्राम धिरजा मिश्र पुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 432/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 श्री अमित गुप्ता

2. आरक्षी आलम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 05.10.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2026 को थाना कोतवाली देहातक्षेत्रांतर्गत ग्राम मलारी डिहवा के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 देहात पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री दिन में 11.00 बजे घर से लापता हो गई है, जिसकी काफी तलाश के बाद भी कोई पता नहीं चला। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त सुधीर पुत्र विनोद को आज दिनांक 05.10.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मलारी मोड़ के पास से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही-

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त सुधीर पुत्र विनोद को आज दिनांक 05.10.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मलारी मोड़ के पास से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुधीर पुत्र विनोद, निवासी सुखवन पुरवा, मौजा ऐली, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 763/2026 धारा 137(2), 64, 87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 सावन सिंह
2. मु0 आरक्षी सोहन प्रसाद
3. आरक्षी अजय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक- 05.10.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की निवासिनी वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि दिनांक 12.09.2026 की रात्रि उसकी नाबालिग पुत्री घर के बाहर बाथरूम करने गई थी। आरोप है कि पड़ोसी चुम्मन उर्फ अभिषेक वर्मा पुत्र सालिक राम वर्मा द्वारा बालिका को जबरन अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया गया तथा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वादिनी द्वारा आरोपी पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।

कार्यवाही-

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 05.10.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त चुम्मन उर्फ अभिषेक वर्मा को उसके घर ग्राम पकड़ी कैशवार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01- चुम्मन उर्फ अभिषेक वर्मा पुत्र सालिक राम वर्मा, निवासी ग्राम पकड़ी कैशवार, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 898/2026 धारा 65(1)/64(2)(M)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. उ0नि0 विजय शंकर
2. कां0 रवि प्रताप सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

